म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क./बी–6/नियमन /कार्टीलाईजेशन/1448 भोपाल, दिनांक 06/03/2019

प्रति,

भारसाधक अधिकारी/सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति
.... जिला............................(समस्त)

विषयः—मंडियों में व्यापारियो द्वारा किसान की उपज की मनमानी बोली लगाये जाने के संबंध मे दिशा–निर्देश तैयार किये जाने बावत।

प्रायः देखने मे आया है कि, व्यापारी द्वारा कृषि उपज की कम बोली लगाने अथवा एकजुट होकर गुटबंदी (**Cartelization**) कर के कृषि उपज के वास्तविक भाव नही लगाते हुए मनमाने तरीके से भाव लगाने की शिकायत किसानों द्वारा की जाती है।

2/ वर्तमान प्रावधानो के अंतर्गत इसके लिए केवल संबंधित किसान द्वारा सौदा अस्वीकार करने/निरस्त करने की व्यवस्था है और किसान को पुनः घोष विक्रय मे भाग लेने की छूट दी गयी है। कुछ स्थानों पर यह भी देखा गया है कि संबंधित किसान जब पुनः नीलामी मे अपना वाहन लगाता है तो व्यापारी, पहली बोली से बढ़कर बोली नही लगाने के लिए उकसाते है/दबाव बनाते है।

3/ इस प्रकार की गुटबंदी (**Cartelization**), अनुचित व्यापार पद्धति (**Unfair Trade Practice**) के लिए व्यापारियों को हतोत्साहित करने के साथ–साथ किसानों के लिए भी सुविधा/विकल्प होना चाहिए, ताकि यदि वह इस प्रकार के किसी भी प्रकरण की शिकायत कर सकें और इस संबंध मे मंडी मे बेहतर निराकरण (Remedy) प्राप्त कर सके।

4/ इस प्रकार की शिकायतों के निराकरण के लिए मंडी स्तर पर एक समिति का गठन किया जावे जिसमे निम्नानुसार सदस्य रहेंगे—

(1) भारसाधक अधिकारी अथवा अध्यक्ष (निर्वाचित समिति के अस्तित्व मे होने पर),
(2) 02 निर्वाचित कृषक सदस्य (निर्वाचित समिति के अस्तित्व मे होने पर),
(3) व्यापारी संगठनों के 02 प्रतिनिधि
(4) मंडी सचिव अथवा उसका प्रतिनिधि जोकि मंडी निरीक्षक से अन्यून पद का न हो।

4/ उक्त विषयक कोई शिकायत प्राप्त होने पर, समिति के द्वारा, प्रकरण की त्वरित जांच दोनों पक्षों की सुनवाई तथा आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण कर, उचित निर्णय लिया जावे।

5/ यदि व्यापारी की गलती/त्रुटि पाई जाती है तो उसके विरूद्ध अर्थदण्ड लगाया जावे और यदि इस प्रकार की त्रुटि बार–बार दोहराई जाती है तो व्यापारी का लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जावे।

7/ इस प्रकार गठित समिति का मंडी में पर्याप्त प्रचार–प्रसार कर किसानों को इसकी जानकारी प्रदान की जावे।

8/ उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित कर, प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

अपर संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क./बी–6/नियमन /कार्टीलाईजेशन/ 1449 भोपाल, दिनांक 06/03/2019
प्रतिलिपि :–

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

(2) संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय,........... (समस्त)

(3) चीफ प्रोग्रामर, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर मण्डी बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु।

(4) गार्ड फाईल।

अपर संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल